

२४ <sup>०६</sup>/<sub>२१</sub>

वकील जर्जी अरा मए पार्चना पत्र अ-वर्ति  
धारा २१२ (२) P.T Act की तहत पत्र  
का निवेदन किया है कि जर्जी-वारी अरा  
संस्थित ग्राम वार १७/१६ ज-प्रापसप घणा  
में जलका है,

वारगत जर्जी ग्राम अठकठ २  
वारी १८ वीचा ०९ बिघा एवं अठ नठ  
०५ वारी ५० वीचा १७ बिघा जिले  
०२ वारी ०९ वीचा ०४ बिघा जिले  
शेही पुवासर वर सरदापधर में जर्जी  
सन् २००७ से बिना किसी विघन  
वाद्या ने जलका प्राप्त कर रखी,

उक्त जर्जी से सम्बन्धित  
निसानी ६१९४/१५ जर्जी महसिले की कात  
प-नवाण वररह में माननीय २१ जल  
तठस ज-प्रापसप २१ जस्थान, अजमेर  
में जर्जी-वारी की जैस सिव्जुरिली  
की कारवाही हेतु पार्चना पत्र निचाल  
ज-प्रापसप में वेम नारी की स्वतन्त्रता  
प्रदान की।

इस निर्णय ने जलका अठकठ में  
सन् २०१६ में दिनांक २२.०७.२०१६ को जर्जी  
-वारी द्वारा नन्तु जलियुति जता नजम  
जर्जी के जलका में रखे जाने का निवेदन  
किया जिसे दिनांक २२.०७.१६ को  
जारी आदेशपुसार तत्कालीन उपजल

नवम्बर  
अक्टूबर  
सितम्बर  
अगस्त

आन्ध्रप्रदेश सरकार द्वारा मंजूर किया गया नए  
क्रॉस सिन्थेटिक जमा करवाने का आदेश  
प्रमाणित जिसकी पासना में जारी करा  
जारी चालान नं० JAN 00/2207310  
दिनांक 25-07-16 जमा करवाने।

इसी प्रकार जारी-वारी द्वारा अक्टूबर  
व्यय 212(2) की वहत अगस्त 2017, 2018,  
2019, 2020 में भी जारीता का पत्र  
किया गया जिन्हें न्यायालय द्वारा  
द्वारा स्वीकार किया गया जिसकी  
पासनापत्र जारी द्वारा दिनांक 06.06  
2017 में जारी आदेश की वहत  
चालान नं० 00/17151875 दिनांक  
08.06.2017 द्वारा 41,650 रु जमा  
करवाये गये। सन् 2018 में जारी  
चालान नं० JAN 00/23170338  
दिनांक 30.05.2018 द्वारा रु 41,650  
व दिनांक 01.02.2019 की जारीता बलक  
जो JAN No. 314 58372 द्वारा  
शुद्ध रु 41,650 जमा करवाई गई व  
दिनांक 07.08.2020 द्वारा जारी  
चालान नं० 41618665 द्वारा रु 41,700  
जमा करवाई गई है।

अतः, यह जारीता पत्र पत्र का  
जारी करा निवेदन किया गया कि जारी  
2016 से लगातार न्यायालय द्वारा  
की द्वारा शुद्ध वर्ष हेतु नकार प्रतिभूति  
जमा करवाई होने की उपरान्त मासिक  
का आदेश प्रदान किया जा रहा है तथा  
इस शुद्ध वर्ष हेतु भी मासिक जारीता  
लिए अनुमानित प्रदान करनी का निवेदन

रि.

पानी उदा किता गमाई,

पगावली सेलमन इन्वार्ज  
 का अवलोकन किता गमा। पानी उदा  
 बुकी वर्ष 2016 के केस सिविलिटी  
 डिपोजिट की जा रही है तथा इसकी  
 अपील भी कानून नही की गई। अतः  
 पानी का पुराना पत्र खीनार कर  
 वर्ष 2021 (वर्षी वर्ष 2028 सालत)  
 से ननर उतिवारी जात बाली की  
 इति पर काश्त की अनुपति पत्र की  
 जाती है। केस सिविलिटी रिटर्न उदि  
 वर्ष अनुसार जात बाली पानी  
 पानी की सूचित किता पानी।

पगावली पौससा बुता ही नवत  
 के नन ही। पगावली वरवीस वकति  
 पाता इतिम उपर ही।

*(Signature)*